आवंटन/महत्वपूर्ण/कोर्ट केस

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांकः– 1514 /25 बजट (प्रतिकर भुगतान–रा0से0)/2017–18 दिनांकः– 11 .01.2018

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय,
लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।

विषयः– सिविल रिव्यू पिटीशन संख्या–180/2017 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रामनगर, नैनीताल बनाम राजेन्द्र सिंह एवं अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालनार्थ भूमि अधिग्रहण मद में आवंटन।

सन्दर्भः (1) शासनादेश संख्या–1587/III (2)/17–03 (बजट)/2017 दिनांक 18.07.2017

(2) शासन का पत्र संख्या 50/III (2)/18–32 (रि.या.)/2017 दिनांक 10.01.2018

शासन के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 10.01.2018 (क0सं0 2) द्वारा सिविल एक्जीक्यूशन संख्या 50/2017 राजेन्द्र सिंह व अन्य बनाम अधिशासी अभियन्ता में मा0 न्यायालय जिला जज नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2017 के विरूद्व मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पुनरीक्षण याचिका संख्या 180/2017 दायर करने की अनुमति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2017–18 के विभागीय आय–व्ययक में अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक– 505404337040024 (पूँजीगत) सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण मद के अन्तर्गत प्राविधानित बजट से विषयक प्रकरण में ₹ 169.01109 लाख मात्र (₹ एक करोड़ उनसत्तर लाख एक हजार एक सौ नौ रूपये) का आवंटन किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 10.01.2018 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन एवं उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18.07.2017 द्वारा अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक– 505404337040024 (पूँजीगत) सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण मद में शासन द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखी गई धनराशि के सापेक्ष अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रामनगर को ₹ 169.01109 लाख (₹ एक करोड़ उनसत्तर लाख एक हजार एक सौ नौ रूपये) की धनराशि निम्नानुसार इंगित शर्तो के अन्तर्गत आवंटित की जाती है। (धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विषयक प्रकरण का विवरण	सम्बन्धित कार्यदायी खण्ड	शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 17–18 में आवंटन
1	2	3	5	6
1	सिविल रिव्यू पिटीशन संख्या–180/2017 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रामनगर, नैनीताल बनाम राजेन्द्र सिंह एवं अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालनार्थ भूमि अधिग्रहण मद में आवंटन।	निर्माण खण्ड रामनगर	169.01109	169.01109
	योग,		**169.01109**	**169.01109**

आबंटन की शर्तें (1) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रामनगर द्वारा शासन के उपर्युक्त संदर्भित पत्रों (क0सं0 1 एवं 2) में निहित दिशा निर्देशों का समुचित अनुपालन एवं उपर्युक्त विषयक प्रकरण में आवंटित धनराशि ₹ 169.01109 लाख का आहरण नियमानुसार सुनिश्चित करते हुये आहरित धनराशि मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के पक्ष में निर्धारित समयान्तर्गत जमा की जायेगी।

(2) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा आवंटित धनराशि को नियमान्तर्गत आहरण न किये जाने अथवा आवंटित धनराशि विलम्ब से मा0 उच्च न्यायालय के पक्ष में जमा किये जाने की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे जिनके विरूद्व सक्षम प्राधिकारी के स्तर से कठोरतम् अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) किसी भी दशा में आवंटित धनराशि अन्य प्रकरणो/मदो में व्यय नही की जायेगी तथा आवंटित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित पक्षकारों को विलम्ब से नही किया जायेगा।

(4) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन कर लिया जायेगा।

(5) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक 5054 सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सड़क निर्माण कार्य–04 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण 00–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्नः– शासन के संदर्भित पत्र दि0 10.01.2018 की छायप्रति।

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0–सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।

2– अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।

3– वित्त नियत्रंक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. उत्तराखण्ड देहरादून। साख–सीमा जारी करने हेतु।

4– अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल/वरिष्ठ स्टाफ आफिसर–II, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि. देहरादून ।

5– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रामनगर।

6– आई.टी. सेल कार्या. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. देहरादून को सूचनार्थ एवं विभागीय ऑनलाईन बेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु।

संलग्नः– शासन के संदर्भित पत्र दि0 10.01.2018 की छायप्रति।

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
11.1.2018

I.T
Upload on Site
(देवेन्द्र शाह) 9.2.18
अधिशासी अभियन्ता